डॉ.भीमराव अंबेडकर की देन

Dr.भीमराव आंबेडकर (बाबा साहब) का देश के विकास मे क्या योगदान है
इसे संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है. इसे ठीक सोंचे समझे और विचार करे

भारत में पहले लड़कियों को कोई अधिकार नहीं थे. पढ़ने, नौकरी के बारे में तो छोड़िये उन्हें घर से बहार निकलने की भी पाबन्दी थी. बस घर और चूल्हा यही उनकी हद थी.

01. उन्होंने भारत में प्रथम लड़कियों को स्त्रियों को पुरुषो के बराबरी के हक़ देने के लिए हिन्दू कोड बिल लिखा.
02. भारत में प्रथम नोकरदार गर्भवती औरतों को वेतनी छुट्टियों का हक़ दिया.
03. लड़कियों को लड़को के बराबर समानता मिलाके दी. लड़कियों को पढ़ने का हक़ दिलाया.
04. लड़कियों को प्रॉपर्टी में लडको के बराबर की हिस्सेदारी दी. लड़कियों को नौकरी में भागीदारी दी.
05. गर्भावस्था में छुट्टी का अधिकार वो भी पूरे वेतन के साथ मिला के दिया.
06. एक पति के लिए एक पत्नी का अधिकार और दूसरी पत्नी के आते ही अपने पति से हिस्से का अधिकार प्राप्त करके दिया.
07. लड़कियों को आज़ादी से जीने का अधिकार दिया.
08. अपने शोषण के खिलाफ आदालत में जाने का अधिकार दिया.
09. अपनी मर्ज़ी से शादी का अधिकार दिया.
10. वोट देने का अधिकार दिया.
11. भारत में प्रथम अर्थशाश्त्र की नीव रखी.
12. भारत में प्रथम जलनीति तैयार की.

13. भारत में प्रथम परिवार नियोजन का नारा दिया.
14. भारत के हर एक नागरिक को मतदान का हक़ दिया.
15. भारत में बालमजुरी पर रोक लगायी.
16. भारत से उच्च नीच जातिवाद की गुलामी से मुक्त किया.
17. भारत से सावकारी, वेठ्बिगारी पद्धत को बंद किया.
18. देश की घटना लिख के सामाजिक एवम भौगोलिक विविधता वाले देश को एक बनाये रखा.
19. देश के 85% जनता को समानता का अधिकार दिया.
20. देश की 85% जनता को उच्च वर्ग के साथ लाके खड़ा कर दिया.
21. दलितों पर से अलग अलग तरह के प्रतिबंद हटाये. सभी को समान अवसर एवम सुविधा उपलब्ध करायी.
22. सभी को अपना धर्म चुनने की आजादी दी.
23. सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान किया.
24. रिजर्व ऑफ इंडिया की स्थापना उन्ही के संकल्पना में हुयी, इस बैंक की स्थापना में उनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्ही के लिखित "दि प्राब्लेम ऑफ दी रुपी" इस प्रबंध के आधार पर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया के रूल्स और रेग्युलेशन बनाये गए..
25. महाराष्ट्र राज्य के निर्माण मे इनका महत्व पुर्ण योगदान है
26. हीराकुण्ड बांध, भाखड़ा बांध, दामोदर बांध और सन प्रकल्प के निर्माते भी वही थे, कोसी नदी पे धरना बांधो बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगी ये बताने वाले भी वही थे.
26. उन्होंने देश के मजूर मंत्री रहते वक़्त शिष्यवृत्ति योजना बनायीं. इससे हजारो टेक्निकल विद्यार्थी विदेश में पढ़ने जाते है.
27. मजूरों को पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था. उसे घटाकर उन्होंने 8 घंटे कर दिया और इसके ऊपर के काम के लिए घंटे के हिसाब से अलग पैसे देने का प्रावधान किया.
28. ऊर्जा निर्मिति व्यवस्था के लिए उन्होंने "सेन्ट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड CTPB की स्थापना की थी.

29. उन्हीने अपनी बुद्धि और परिश्रम से सिंचन और बंधारो के लिए आयोग की स्थापना की थी. क्यों की इनपे आर्थिक भर रहता है.

30. पानी के व्यवस्थापन के लिए, नैसर्गिक संसाधन, कोयला खान प्रकल्प के लिए उनका ही परिश्रम कारणीभूत है.

31. खेती, उद्योग, कारखानो के विकास और पुनर्वसन के लिए RCC (Reconstruction Committee Council) की स्थापना की गयी थी वे वह सभासद थे. इसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा.

32. उन्होंने ही पहले ही बिहार और MP के दो पटना रांची और दक्षिण उत्तर ऐसे भाग करने को कहा था. ताकि इन राज्यों का विकास हो सके. 45 साल बाद छत्तीसगढ़ और झारखण्ड अलग किये गए.

33. शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी है इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन तनख्वाह मिले ये भी उन्हीने कहा था.

34. देश में कोयले की बिजली नहीं चलेगी उसके बदले सौरऊर्जा का इस्तेमाल करके जल विद्युत प्रकल्प खड़े करने को कहा था.

35. उनके बेटे ने भ्रष्टाचार किया तो खुद के पेपर में खुद के बेटे पे निंदा टिपणी करके भ्रष्टाचार विरोधी होने का सबूत दिया.

36. लड़कियों का गर्भपात न करे ये बताने वाले भी वही थे.

37. किताबों के लिए स्पेशल घर बांधने वाले भी वही थे.

38. देश को उपराजधानी चाहिए ये बताने वाले भी वही थे.

39. मुझे कायदे मंत्री नहीं बनाना मुझे कृषि मंत्री बनके किसानों को न्याय मिलाके देना है. किसानो का राज्य लाना है ये कहने वाले भी वही थे.

40. कोकण में खोती का आंदोलन करने वाले भी वही थे.

41. तिलक के बेटे ने आत्महत्या की थी. उस समय भविष्य में कोई आत्महत्या न करे इस्पे भावपूर्ण स्वर में लेख लिख के श्रंद्धांजलि देने वाले भी वाही थे.

42. तीन लष्करी प्रमुख कभी एक साथ न मिले ये लोकशाही के लिए घातक है ये बताने वाले भी वही थे.

43. वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हे गोलमेज परिषद में आने के लिए विशेष आमंत्रण दिया जाता.

44. वो एक मात्र नेता है जिन्होंने लड़कियों के हक़ के लिए उनके सम्मान के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था.

45. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका देश भी उनके लिखित अर्थशास्त्र पर चलता है.

वो एक अच्छे व्होलीयोन वादक भी थे. एक शिल्पकार, चित्रकार भी थे ये बात तो बहुत से लोगों को भी पता नहीं.

46. उन्हें टोटल आठ भाषाए आती थी. हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत, गुजरती, पारसी, जर्मन, फ्रेंच. इसके आलावा उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोष भी लिखी थी.

47. उन्होंने संसद में पेश किए हुए विधेयक महार वेतन बिल, हिन्दू कोड बिल, जनप्रतिनिधि बिल, खोती बिल, मंत्रीओं का वेतन बिल, मजदूरों के लिए वेतन (सैलरी) बिल, रोजगार विनिमय सेवा, पेंशन बिल, भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ्.). इनके अलावा मानवी अधिकारों के लिए कई सत्याग्रह किये. उसके साथ ही कई सामाजिक संघटन भी स्थापित किये,

✸26 #नवम्बर 1949 #भारतीय #संविधान दिवस✸

संविधान निर्माता भारत-रत्न, बोधिसत्व, महान् शिल्पकार बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या क्या किया । क्योंकि जब हम कुछ जानेंगे तभी मानेंगे।

1: रोजगार कार्यालय की स्थापना।

2: राज्य कर्मचारी बीमा ।

3: काम का समय 12 से घटाकर 8 घन्टे।

4: महिलाओं को प्रसूति अवकाश

5: ट्रेड यूनियन को मान्यता

6: महंगाई भत्ता

7: अवकाश का वेतन

8: स्वास्थय बीमा

9: पी एफ

10: श्रम कल्याण कोष
11: वित्त आयोग का गठन
12: व्यस्क मतदान का अधिकार
13: भारतीय सांख्यिकीय कानून
14: सेन्ट्रल पावर तकनीकी बोर्ड
15: हीराकुंड बाँध
16: दामोदर नदी परियोजना
17: भाखड़ा नागल बाँध
18: ओडिशा नदी परियोजना
19: सोन नदी परियोजना
20: रिजर्व बैंक की स्थापना

फिर भी कुछ गधे बोलते हैं बाबा साहब ने कुछ नहीं किया।

।।जय भीम जय भारत ।।

✸हिन्दू कोड बिल✸

बाबा साहब के द्वारा संविधान में "महिलाओं" के लिए दिए गए विशेष अधिकार :---

1. बहुपत्नी की परम्परा को खत्म कर नारियो को अद्भुत सम्मान दिया.
2. प्रथम वैध पत्नी के रहते दूसरी शादी को अमान्य किया.
3. बेटा की तरह बेटी को भी पिता की सम्पति में अधिकार का प्रावधान किया.
4. गोद लेने का अधिकार दिया.
5. तलाक लेने का अधिकार दिया.
6. बेटी को वारिश बनने का अधिकार दिया.
7. प्रसव छुट्टी का प्रावधान किया.
8. सामान काम के लिए पुरुषो सा सामान वेतन पाने का अधिकार दिया.
9. स्त्री की क्षमता के अनुसार ही काम लेने का प्रावधान किया.

10. भूमिगत कोल खदानों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगाया.
11. श्रम की अवधी 12 घंटा से घटा कर 8 घंटा किया.
12. लिंग भेद को खत्म किया.
13. बाल विवाह पर रोक लगाया.
14. रखनी प्रथा, वेश्याव्रिति पर रोक.
15. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया.
16. मताधिकार का अधिकार दिया.
17. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का द्वार खोला.
18. मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया. ये सारे अधिकार सभी महिलाओं के लिए बनाया.

इस संविधान 1950 के पूर्व नारी, पुरुष की दासी मात्र थी जिसका गवाह धर्म के शास्त्र है.

इन शास्त्रो में स्त्रियों को झूठी कहा गया, उनके मन को भेड़िये जैसा बताया गया, किसी भी पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाने वाली बताया। मानस में तुलसी ने पशुओं की तरह नारी को पीटने योग्य बताया, गीता में पापयोनि वाला बताया, मनुसमृति में तो पूछिये मत नारी को किस स्तर तक गिराया लेकिन संविधान के अनुच्छेद 13 में इन सारे शाश्त्रीय नियमों को ध्वस्त कर उन्हें एक इंसान के रूप में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया !

✸और भी कुछ बिल✸

1--श्रम संबंधी कानूनों में एकरूपता लाये.
2--भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की उपयोगिता शाखा की सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन.
3--भारत की वास्तविक स्थिति का लेखा जोखा पारित.

4--भारतीय श्रमिकों का युद्ध स्तरीय योगदान और उनकी भागीदारी.
5--कागज नियंत्रण आदेश पारित.
6--कामगारों को अपर्याप्त मंहगाई भत्ता दिये जाने में सुधार.
7--भारतिय वित्त विधेयक प्रस्तुत.
8--श्रम विभाग की स्थायी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.
9--भारतीय चाय नियंत्रण संसोधन विधेयक पारित.
10--युद्ध आहत बीमा विधेयक पारित.
11-- कुशल और अर्ध कुशल कर्मियों के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना.
12-- भारतीय बायलर्स संसोधन विधेयक पारित.
13-- मोटर वाहन चालक संसोधन विधेयक.
14-- खदान प्रसूति लाभ संसोधन विधेयक.
15--श्रम सम्मेलनों का सुभारम्भ.
16-- मजदूर और संसदीय लोकतंत्र.
17-- भारतीय मजदूर संघ संसोधन विधेयक.
18-- भारत में विद्युत शक्ति का युध्दोत्तर विकास.
19-- श्रम सदस्य की झारिया कोयला खदान की यात्रा और मजदूरों की समस्याओं का निवारण.
20--भारत में श्रम कल्याण को प्रोत्साहन.
21--कोयले की खानों में भूमिगत कार्यों में महिलाओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध.
22--कोयला खान सुरक्षा (लदान) संसोधन विधेयक पारित.
23--श्रमिकों के प्रति सरकार की नीतियों की प्रस्तुति.
24--नई दिल्ली में मस्जिदों का संरक्षण.
25--कारखाना संसोधन विधेयक पास.
26--कोयला खान कल्याण कोष संबंधी परामर्श समिति का गठन.
27-- अभ्रक उद्योग को सुदृढ और स्थिर बनाने का सार्थक प्रयास.
28--स्थाई श्रम समिति में मजदूर संघों की मान्यता.
29--कुशल श्रमिकों को युद्धोपरांत रोजगार की व्यवस्था.
30-- त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों की शुरुआत.

31-- कारखाना दूसरा संसोधन विधेयक.
32-- वेतन भुगतान संसोधन विधेयक पारित.
33-- दामोदर घाटी परियोजना प्रारम्भ.
34-- युध्दोत्तर विजली विकास.
35-- भारत के खनिज साधनों पर सरकार की नीति.
36-- भारत सरकार की श्रम नीति.
37-- भूमिगत खानों से हटाई गयी महिलाओं के अन्यत्र पुनः लगाए जाने की व्यवस्था.
38--श्रम विभाग की अनुपूरक मांगों पर सार्थक पहल.
39--औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था.
40--राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण का युद्ध कार्य.
41-- दामोदर घाटी का बहुउद्देश्यीय विकास.
42-- भारत के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था.
43--श्रमिकों के लिए सरकारी दायित्व की जिम्मेदारी.
44-- उड़ीसा की नदियों के विकास के लिए बहुउद्देश्यीय योजना.
45-- दामोदर घाटी परियोजना में खाली हुए गाँवों की पुनर्स्थापना.
46-- कर्मचारी क्षतिपूर्ति संसोधन विधेयक पारित.
47-- भारतीय खान संसोधन विधेयक पास.
48-- कारखाना संसोधन विधेयक पास.
49-- पुनर्वास योजना प्रारम्भ.
50-- कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध.
51--श्रम विभाग में मुश्लिमों की बेहतर स्थिति के लिए किए गए सार्थक प्रयास.
52-- भारतीय वित्त विधेयक पास.
53-- कारखाना पुनः संसोधन विधेयक पारित.
54-- अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष विधेयक पास.
55-- रेलवेमेन्स फेडरेशन की कर्मचारियों की छंटनी की मांग अस्वीकृत.

- इत्यादि—

✸आर्टिकल 13 क्या है?

✸आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान लागू होने की दिनांक से पहले जीतने भी धार्मिक ग्रन्थ, विधि कानून जो विषमता पर आधारित थे उन्हें शून्य घोषित किया जाता है।। 👌👌👌👌

✍️व्याख्या - इस कानून के अनुसार बाबा साहेब ने सिर्फ एक लाइन में ढाई हजार सालों की उस व्यवस्था और उस कानून कि किताबों को शून्य घोषित कर दिया जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।।*

✍️जैसे - संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र व अति शूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था।।

🔸इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शुद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अति शूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमता वादी कानून इतनी कठोरता से लागू था जिसे पढ़कर बाबा साहेब का हृदय कांप उठा था।

🔸बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम है, उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था, इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन प्रथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू की गई ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र व अति शूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे।

🔸19वीं सदी में ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, विलियम बैटिंग, लार्ड मैकाले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को खतम

करने की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर* 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमता वादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी *✍□और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलवाया, इसके बाद बाबा साहेब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र व अति शूद्र लोगों की वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया।

◆1931-32 में बाबा साहेब ने इन 90% लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया, सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा का दरवाजा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया, जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहेब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियां कानून और धर्म ग्रंथ को, जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में शून्य घोषित कर दिया।

◆इसी संविधान में बाबा साहेब ने एससी, एस टी, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर इन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे है और इन्हें खत्म करवाने के लिए रात दिन प्रोपेगंडा और धर्म, भ्रम, पाखंड अंधविश्वास, साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं।

इसलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी।✍□*

🙏जय भीम🙏

🙏जय संविधान🙏

🙏जय मूलनिवासी🙏

✸आर्टिकल 14 क्या है?

👌आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसा कोई भी कानून फिर से लागू नहीं होगा और ना ही बनेगा जो इंसानों के साथ विषमता वादी व्यवहार करें और उनको बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करें, अर्थात भारत के सब नागरिक को समान मानते हुए ही विधि या कानून लागू या बनाए जाए।

✍🏻व्याख्या✍🏻 - भारत की संसद में चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो, तो इस बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूद व्यवस्था को मजबूत बनाए और एक कम्यूनिटी को इस कानून के दम पर तानाशाही करने के लिए सरक्षण प्रदान करता हो, इसलिए आर्टिकल 14 सब भारतीयों के लिए एक समान विधि सहिंता उपलब्ध करवाता है और किसी भी विषमता वादी कानून बनाने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो।

🌻प्लीज़ इस ज्ञान से भरी पोस्ट को कम से कम दो बार पढ़ कर अपने परिवार रिश्तेदार सगे सम्बन्धीयो को जरूर भेजें और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें✍🏻।

🙏जय भीम🙏
🙏जय संविधान🙏
🙏जय मूलनिवासी🙏

✸आर्टिकल 17 क्या है?

✍️अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो आज हम और आप सब लोग बहुत बड़ी गुलामी, गिलानी और छुआछूत, भेदभाव की सीमा में जकड़ कर जी रहे होते हालांकि आज भी जातिगत भेदभाव (untouchability) हो रहा है और हम झेल भी रहे हैं। तो चलिये बात करते हैं आर्टिकल 17 की।

Article 17:--- Abolition of untouchability.

आर्टिकल:--17. अस्पृश्यता का अंत

✍️इस आर्टिकल के दो भाग हैं, पहले भाग के अनुसार छुआछूत को भारत से खत्म कर दिया गया है अर्थात प्रथम भाग के अनुसार अब भारत मे भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म किया जाता है और इसका दूसरा भाग कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिग (व्यक्ति) छुआछूत या भेदभाव करता है या उसे बढ़ावा देता है या करता पाया जाता है तो वह अपराध करता है अर्थात untouchability एक अपराध है।

✍️वैसे "छुआछूत" शब्द की परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है लेकिन न्यायालयों ने इसकी परिभाषा देने की कोशिश की है।

✍️जयसिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (राजस्थान)
देवराजी बनाम वी.बी. पदमन्ना (1958 मैसूर) मामलों में कहा गया कि छुआछूत की हिस्ट्री कास्ट पर आधारित है अर्थात भेदभाव जाति आधार पर होता है अन्य आधारों पर नहीं।

✍️अब सवाल है कि भेदभाव करने वाले को सजा किस आधार पर दे क्योंकि पनिशमेंट तो संविधान में निर्धारित नहीं है तो इसके लिए आर्टीकल 35 पर चलते हैं।

✍□आर्टीकल 35 कहता है कि संविधान के भाग-3 में जहाँ-जहाँ सजा का प्रावधान है उसके लिए संसद अनुच्छेद 35 के आधार पर कानून बनाए। तो अनुच्छेद 17+ 35 को मिलाकर शुरुआत में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था" अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 (untouchability offences Act, 1955) जो कि भेदभाव करने वाले लोगों के लिए दण्ड का प्रावधान करता था लेकिन इसमें सजा बहुत कम थी मात्र 6 महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों

✍□लेकिन बाद में लगा कि यह सही नहीं है इससे कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है तो 1965 में एक कमेटी का आयोजन किया गया जिसका नाम था " committee on untouchability economic & educational development of the schedule cast" और इस कमेटी के रिकमंडेशन के आधार पर सन 1976 में इस एक्ट का नाम बदलकर "प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट अधिनियम, 1955" कर दिया व इसमें अपराधों की सजा को और अधिक बढ़ा दिया व अपराधों को अश्मनीय (राजीनामा नहीं होगा) {non-compoundable}घोषित किया व

✍□Duty of public servant अर्थात लोक सेवक यदि अपराध की जांच नहीं करता है या आनाकानी करता है तो वह भी अपराध का बराबर का जिम्मेदार होगा तथा इसमें place of worship को भी इंक्लूड किया गया यदि worship पर भेदभाव होता है तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। तथा एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई जो कि सरकार के लिए थी। इसके अनुसार यदि किसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग भेदभाव करते हैं तो सरकार उन सभी लोगों पर एक साथ सजा प्रेसक्राइब कर सकती है।

✍□इस अधिनियम के अलावा एक और अधिनियम है जो कि बहुत ही फेमश और नफरत फैलाने वालों को मुँह पर शानदार तमाचा है उसका बहुत बड़ा

योगदान है हमारी लाइफ सक्सेज करने में वो भी इन्ही आर्टिकल के आधार पर बना हुआ है।

✍□इसका नाम है "SC, ST (prevention of atrocities) Act, 1989 ये हमे और भी अधिक अधिकार प्रदान करता है व अधिक मात्रा में दंड की व्यवस्था करता है व यह बताता है कि SC, ST के मामलों का विचारण (Trial) कैसे किया जायेगा? रिलीज सिस्टम क्या होगा? सजा कैसे व कितनी होगी? तथा साथ ही साथ इन मामलों के जल्द निपटारे के लिए SC, ST स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था करता है।

✍□मुख्य केस:-- पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं।

✍□स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम अप्पावालू इंगाले (1993) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 17 का उद्देश्य जाति, धर्म व प्रथा के आधार पर disability, restrictions व छुआछूत, भेदभाव जैसी बुराइयों को खत्म करना है और इसके लिए सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

पोस्ट काफी बडी हो गई है लेकिन आर्टिकल 17 का टोटल मैटर कम्प्लीट हो चुका है।
आप सभी के लिए जय भीम !!

✸आर्टिकल 19 (1) क्या है?

क्या है आर्टिकल (अनुच्छेद) 19 (1) :- भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 (1) भारत के नागरिकों के लिए 06 चीजों की स्वतंत्रता की बात करता है। इसके तहत ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये अधिकार हैं ...

आर्टिकल 19(1)(a) : सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

आर्टिकल 19(1)(b) : बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है।

आर्टिकल 19(1)(c) : संघ या संगठन बनाने का अधिकार है।

आर्टिकल 19(1)(d) : भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है।

आर्टिकल 19(1)(e) : भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है

आर्टिकल 19(1)(f) : इसे हटाया जा चुका है (पहले इसमें संपत्ति के अधिकार का प्रावधान था)

आर्टिकल 19(1)(g) : कोई भी व्यवसाय, पेशा अपनाने या व्यापार करने का अधिकार है।

क्या कहता है आर्टिकल 19 (2) :- भारतीय संविधान का आर्टिकल (1) जहां मौलिक अधिकारों की बात करता है, वहीं आर्टिकल 19 (2) के तहत इन अधिकारों को सीमित भी किया गया है। आर्टिकल 19 (2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीन चीजों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है, तो उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

जय भीम जय संविधान

मान्यवर ईश्वर चन्द्र वर्मा

राष्ट्रीय प्रचारक BAMCEF कि वाल से

✸आर्टिकल 340 क्या है?

#ब्राम्हण_संविधान को #समाप्त क्यो करना चाहता उसके कारण नीचे के बिंदुओं से जाने-

(1). संविधान के #आर्टिकल_340 के अनुसार OBC, SC, ST हिन्दू नही है।

इसका पता हिन्दू शास्त्रों से भी चलता है। हिन्दू शास्त्र मनुस्मृति के अनुसार चार वर्ण और जातियां इस प्रकार है

(1) ब्राम्हण एक वर्ण एक जात।

(2) क्षत्रिय एक वर्ण एक जात।

(3) वैश्य एक वर्ण एक जात।

(4) शुद्र एक वर्ण लेकिन 6000 से अधिक टुकड़ो में (जाट, गुर्जर, धोबी, लखारा, माली, तेली, निषाद, लूहार, धनगर, नाई, सोनार, चामर, भंगी, खटीक, रैगर, नायक, सुथार, राव आदि आदि) जातियां बांट रखी है ताकि ये जाति व्यवस्था से टुकड़ो में ही रहे संगठित नही हो। ओर इनको बाटने वाले का ये कभी विरोध नही कर सके।

इन 6000 से ज्यादा सभी जातियों को संविधान में अनुसूचीयोँ के अनुसार

अनुसूचित जनजाति (ST)

अनुसूचित जाति (SC)

और अन्य पिछड़ी जाति (OBC)

का संवैधानिक दर्जा दिया गया।

(2). हिन्दू शास्त्र मनुस्मृति के अनुसार इन सभी शुद्रो तेली, तम्बोली, भंगी,चामर,जाट, गुर्जर,आदि को ऊपर के तीनों वर्णो की सेवा करने का ही काम रहता था।

शुद्रो को धन रखने का अधिकार नही था।

शुद्रो को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था।

शुद्र औरतों को ब्लाउच पहनने का अधिकार नहीं था शुद्र महिलाओं को भरे बाजार में अपने स्तनों को खुला रखकर चलना पड़ता था।

शुद्रो को ऊपर के तीनों वर्णो के घर के बाहर #चप्पलहाथ के लेकर #नंगेपांव चलना पड़ता था।

शुद्रो को अच्छा खाने का अधिकार नही था।

(3). हिन्दू धर्म और #आयुर्वेद के अनुसार #बासीखाना और #जूठाखाना खाने की मनाही है, लेकिन शुद्रो को बासी ओर जूठा खाना परोसने देने का वर्णन #मनुस्मृति में लिखा पड़ा है।

(4). शुद्रो को मंदिरों में जाने की मनाही है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार यदि शुद्र मंदिर में जाएंगे तो #मंदिर_अपवित्र हो जाता है। लेकिन वर्तमान में मंदिर के भंडारों में पैसा डालने वाले अधिकांश लोग शुद्र ही है। और पैसा सिर्फ ब्राम्हण लोग ही निकालते है।

(5). शुद्रो को अछूत (जो छूने योग्य नही हो या जिसके छूने से ऊपर के तीनों वर्ण ब्राम्हण, क्षत्रिय ओर वैश्य अपवित्र हो जाये) का दर्जा दिया इसलिए शुद्र इन तीनो वर्णो से अलग है । अछूत ओर तीनो वर्णो से अलग होने से शुद्रो को हिन्दू नही कह सकते। और संविधान में भी इन शुद्रो को OBC, SC, ST अनुसूचीयो में डाल हिन्दू नही होने का उल्लेख आर्टिकल 340 में किया गया।

(6). #ब्राम्हणो को डर है कि यदि शुद्रों (OBC, SC, ST) को संविधान के #आर्टिकल 340 ओर शुद्रो के इतिहास का पता चल गया तो उस दिन से शुद्र हिन्दू नही रहेगा। इसलिए शुद्रो को मुसलमान का डर बताकर हिन्दू बनाये रख OBC, SC, ST वोट लेने का षड्यंत्र चालू रख रखा है।

🥀#निकलो बाहर मकानों_से🥀
🥀#जंग लडो बेईमानो_से🥀
🥀बोल 85 जय मूल निवासी🥀
🥀जय जवान जय किसान जय विज्ञान🥀
🥀जयभीमजय_संविधान जय मूलनिवासी 🥀
Jaago Bahujano Jaago Moolniwasiyo
#SC_ST_OBC_MINORITY #एकता_ZINDABAD

✸आर्टिकल 340 क्या है?

भारत के #संविधान का सबसे #विस्फोटक_आर्टिकल_340 है।
संविधान लागू होने के बाद 1950 से देश कि सारी #राजनीति इसी आर्टिकल 340 को #लागू होने से रोकने कि दिशा मे ही #घुमती रहती है
यह खेल 70 साल से चल रहा है

जो भारत कि 52% OBC को शासन प्रशासन में जनसंख्या के अनुपात में 52% #भागीदारी की बात करता है
यह बात पिछडों को #समझ नहीं आती है
क्यों दिखावे का मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री बनाते हैं ?

जो OBC के आर्टिकल 340 के लिए संघर्ष करने कि बजाय ओबीसी के विरोध मे ही कार्य करते हैं ?

✸आर्टिकल 340-341-342 क्या है?

#The_Legend_BABA_SAHAB

डॉ बी. आर. अंबेडकर ने 'अनुच्छेद 340 में OBC आरक्षण' के विषय मे लिखा उसकी सच्चाई और महत्वपूर्ण तथ्य जानिए

1. अनुच्छेद '341' के अनुसार शेड्यूल कास्ट 'SC', को '15 प्रतिशत' प्रतिनिधित्व दिया।

2. अनुच्छेद '342' के अनुसार 'शेड्यूल ट्राईब 'ST', को '7.5 प्रतिशत' प्रतिनिधित्व दिया।

3. और इन वर्गों का विचार करने से पहले डा. अंबेडकर ने सर्वप्रथम 'OBC', अर्थात अन्य पिछड़ी जातियों का विचार किया, इसीलिये डा. बाबासाहेब अंबेडकर ने 'अनुच्छेद 340 के अनुसार' OBC को सर्वप्रथम' प्राथमिकता दी।

4. अनुच्छेद '340' के अनुसार 'OBC' को '52 प्रतिशत' प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया, उस समय लौह-पुरूष "सरदार पटेल" इसका विरोध करते हुए बोले - ये 'OBC' कौन है?

ऐसा प्रश्न सरदार पटेल स्वतः 'OBC' होते हुए भी पूछा - क्योंकि उस समय तक 'SC' और 'ST' में शामिल जातियों की पहचान हो चुकी थी और 'OBC' में शामिल होने वाली जातियों की पहचान जो आज '6500' से अधिक है, का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

कोई भी "अनुच्छेद" लिखने के बाद डा. बाबासाहेब अंबेडकर को उस "अनुच्छेद" को प्रथम तीन लोगो को दिखाना पड़ता था।

1. पंडित नेहरू
2. राजेंद्र प्रसाद
3. सरदार पटेल

इन तीनों की मंजूरी के बाद उस अनुच्छेद का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस समय संविधान सभा में कुल 308 सदस्य होते थे, उसमें से '212 कॉंग्रेस' के थे। अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और 342 के पहले है। सभी पिछड़ी जातियों को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना चाहिए।

✍ 340वां अनुच्छेद असल में क्या है?
उस समय डा. बाबासाहेब अंबेडकर ने 340वां अनुच्छेद का प्रावधान किया और सरदार पटेल को दिखाया। उस पर 'सरदार पटेल' ने डॉ. बाबासाहेब से प्रश्न

किया ’ये OBC कौन है।’ ’हम तो SC और ST को ही बैकवर्ड’ मानते हैं। ये OBC आप कहां से लाये ?

सरदार पटेल भी ’बॅरिस्टर’ थे, और वह स्वयं OBC होते हुए भी उन्होंने OBC से संबधित अनुच्छेद 340 का विरोध किया, किंतु इसके पीछे की बुद्धि सिर्फ गांधी और नेहरू की थी। तब बाबासाहेब ने सरदार पटेल से कहा -

"It's all right Mr. Patel" मैं आपकी बात संविधान मे डाल देता हूँ।

’भारतीय संविधान’ के अनुच्छेद 340 में सरदार पटेल के मुख से बोले गये वाक्य के आधार पर 340वें अनुच्छेद के अनुसार’ इस देश के राष्ट्रपति को OBC कौन है? ’’ये मालूम नहीं है’’ और इनकी पहचान करने के लिए एक ’आयोग गठित’ करने का आदेश दे रहे हैं।

गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और उनकी ’कांग्रेस’ की, OBC को प्रतिनिधित्व देने की इच्छा नहीं है। ये बाबासाहेब को दिखा देना था, परंतु 340 वें अनुच्छेद के अनुसार ’राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद’ ने OBC कौन है, इन्हें पहचानने के लिए ’आयोग’ नहीं बनाया।

इसलिए ’दिनांक 27 Sept. 1951 को, बाबासाहेब ने ’केन्द्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया।’ मतलब OBC के कल्याण के लिए ’केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा’ देने वाले ’पहले और अंतिम व्यक्ति डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर है, परंतु आज भी यह घटना अपने OBC जाति के मित्रों को शायद मालूम नहीं है इस बात पर’ बहुत आश्चर्य और दुख होता है।

✸साइमन कमीशन की हकीकत✸

+++++++++++++++++++++±++++++++++++++

हमें आज तक यही पढ़ाया गया था, कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था , लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि तीन शख्स थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया था ।

इन तीन शख्स के नाम निम्न है -

1- OBC से चौधरी सर छोटूराम जी। जो पंजाब से थे।
2- SC से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो महाराष्ट्र से थे।
3- OBC शिव दयाल चौरसिया जो यूपी से थे।

अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया?

क्योंकि 1917 में अंग्रेजो ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम था साउथ बरो कमिशन, जो कि भारत के शूद्र अति शूद्र अर्थात आज की भाषा में एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था, उस समय ओबीसी की तरफ से शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को, और एससी एसटी की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा।

लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहां कि तेली, तंबोली, कुर्मी कुनभट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है।

इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजो ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रजों ने एक बात कहीं कि भारत के ब्राह्मणों में भारत की बहु संख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है।

इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक ओर सर्वे करने आया, कि इन मूलनिवासी लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

इस साइमन कमिशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी, जिसमे सब संसदीय लोग थे।

इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था, जो लोग भारत के मूलनिवासी लोगों के हक़ अधिकार का हमेशा विरोध करते थे, जब यह कमिशन SC, ST और OBC लोगों का सर्वे करने भारत आया तो, गांधी, लाला लाजपराय, नेहरू और आरएसएस ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए, लाला लापतराय ने इसलिए अपने प्राण दे दिए, चाहे मै मर भी क्यों न जाऊं लेकिन इन शूद्र अति शूद्र लोगों को एक कोड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए।

गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, दूसरे अर्थों में गांधी ये कहना चाहता था, कि इस कमिशन में ब्राह्मण बनियों को क्यों नहीं लिया।

क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी OBC के आदमी को सविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया, इसलिए बाबा साहब ने OBC के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया।

दूसरी तरफ साइमन का स्वागत करने के लिए चौधरी सर छोटूराम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया, यूपी से ऐसा ही स्वागत शिवदयाल चौरसिया ने किया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग अलग जगह पर अंग्रेजो का सहयोग किया और भारत में जाति व्यवस्था की जमीनी स्तर की सही जानकारी साइमन कमीशन को दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संपति, और बोलने सुनने और पढ़ने लिखने से वंचित किए गए लोगों और उस समय के राजा महाराजाओं की ओकात एक बराबर कर दी, वोट का अधिकार देकर।।

लेकिन क्या हम ओबीसी, एससी एस टी अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए, कभी नहीं जान पाए, इसलिए हम आज भी 3.5% लोगों के गुलाम है।

दूसरी बात साइमन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कोन लोग विरोध कर रहे थे।।

1- कर्मचंद गांधी गुजरात का गोड बनिया।
2- जवाहर लाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण।
3- लाला लाजपतराय पंजाब के ब्राह्मण।।
4- आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बली हेडगवार ब्राह्मण और पूरी की पूरी आरएसएस लाबी।

ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% है और इनको ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुना जा सकता, इसलिए 90% एससी, एस टी और ओबीसी के वोट के अधिकार का, शिक्षा, संपति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे।।

✸अत: हमें मालुम होना चाहिये हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमे पढ़ाया जाता रहा है, बल्कि वो है जो हम से छुपाया जाता रहा है।।✸

अब भी अगर अपना इतिहास नही जानोगे तो समाज का सही मार्ग दर्शन नही हो पाएगा ।

*इस संदेश को कम से कम 50-50 लोगों में शेयर करो और इस क्रान्तिकारी जानकारी से हमारे समाज के साथियों को जगाओ यही भी एक प्रकार की समाज सेवा ही होगी।

जय संविधान

आपका बहुत बहुत धन्यवाद । 🙏🙏

✸भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। पूरा पढ़ें। Please✸

अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ होने के, समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहां के नागरिक होंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों.

अनुच्छेद 13 (2): राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

अनुच्छेद 14 = विधि के समक्ष समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 15 = किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15(4) = सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों के लोगों के लिए कुछ प्रमुख अधिकार।

अनुच्छेद 16 = लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार।

अनुच्छेद 17 = छुआछूत (अस्पृश्यता) की भावना का अन्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद 18 = प्रदान की जाने वाली उपाधियों का भी अन्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद 19(1)(a): बोलने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1)(b): बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 19(1)(c): संघ या संगठन बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 19(1)(d): भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है।

अनुच्छेद 19(1)(e): पुरे देश मेँ बसने/रहने की आजादी

अनुच्छेद 19(1) (f): संपत्ति का अधिकार है। (जो अब 44 वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है)

अनुच्छेद 19(1) (g): कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी

अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष में कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद 25: (अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता) इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 28 (1): राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Article 29 (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

आर्टिकल 30(1) के मुताबिक, किसी भी धर्म या भाषा के अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है। ...
आर्टिकल 30(2) के मुताबिक, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से किसी विशेष समुदाय, भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो पागल या अपराधी न हो, मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ... इसे 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' या 'सार्वभौम मताधिकार' कहा जाता है।

अनुच्छेद 332: अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान.
अनुच्छेद 335: अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान.
हमारा (सत्यप्रकाश गौतम) का आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि भारतीय संविधान को पढ़ें और उसमें दिए गए अपने अधिकारों को जाने और दूसरों को बताएं।

और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।।
जय भीम
नमो बुद्धाय
जय संविधान।।

IN अशोक चक्र IN

भारत बौद्ध रास्ट्र था है और रहेगा बस यहाँ के मूलनिवासी बहुजनों अर्थात SC ST OBC And Minority को जागने भर देर है.

🌹अशोक चक्र के लिए बाबासाहब ने बहुत Struggle किया है। " अशोक चक्र " का जब issue उठा तब पूरी Parliament में हंगामा शुरू था। पूरी Parliament दनदना गयी थी ।

पहले राष्ट्रध्वज का कलर बनाने के लिए बाबासाहब ने " पेंगाली वेंकैय्या " को चुना था। पेंगाली वेंकैय्या को कलर के बारे में जानकारी थी। उनका संवैधानिक चयन बाबासाहब ने किया था।, पेंगाली वेंकैय्या ने ध्वज का कलर तो बनाया लेकिन वो कलर ऊपर निचे थे, मतलब सफ़ेद रंग सबके ऊपर , फिर केशरिया और फिर हरा।

*बाबासाहब ने सोचा , अगर अशोक चक्र हम रखे तो वो नीले रंग में होना चाहिए और झंडे के बीच में होना चाहिए केशरिया रंग पे " अशोक चक्र " इतना खुल के नहीं दिखेगा। बाबासाहब ने सोचा , अगर सफ़ेद रंग को बीच में रखा जाए, जो की शांति का प्रतीक है, उसपर अशोक चक्र खुल के भी दिखेगा। और शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग पे शांति के सन्देश का अशोक चक्र पर उसका मतलब बहुत गहरा होगा।

इसलिए बाबासाहब ने वो कलर ठीक से सेट किये। और सफ़ेद रंग बीच में रखा ताकि उसके ऊपर अशोक चक्र रखा जाए*।

दूसरी तरह से वो रंग कांग्रेस पार्टी के झंडे के कलर हो जाते है। बाबासाहब ने जब अशोक चक्र का issue पार्लियामेंट में उठाया तब सबने विरोध किया था। गाँधी, नेहरू का कहना था के झंडे पर गाँधी का चरखा रखा जाए जो की कांग्रेस पार्टी का सिम्बोल था। बाबासाहब अकेले दीवार की तरह खड़े थे। बाबासाहब

बोले थे , जब तक अशोक चक्र झंडे पर नहीं रखा जाएगा तब तक उस झंडे को " संवैधानिक राष्ट्रध्वज" मैं संविधान में नहीं लिखूंगा....

बाबासाहब जिद पे अड़े थे बाबासाहब ने बहुत भयंकर - भयंकर Explanation दिए। किसी को विरोध करने के लिए मुँह नहीं बचा आखिर बाबासाहब की वजह से Parliament में   " अशोक चक्र " का issue बहुमतों से पारित हुआ और " अशोक चक्र " को स्वीकार किया गया

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा', इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व सबसे नीचे हरा रंग है। सभी रंग बराबर अनुपात में हैं। सफ़ेद रंग की पट्टी पर झंडे के मध्य में नीले रंग का चक्र है

केसरिया रंग देश की ताकत एवं साहस का परिचायक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति एवं सत्यता को दर्शाती है। हरे रंग की पट्टी धरती की उर्वरता, विकास एवं पवित्रता की परिचायक है। चक्र इस बात को दर्शित करता है कि जीवन गतिमान है जबकि मृत्यु निश्चलता का नाम है। झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को भारत की संविधानकारी सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था ।

अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र की 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं , जो किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा सकते हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को रखा ।

अशोक चक्र में दी गयी सभी 24 तीलियों का मतलब चक्र के क्रमानुसार जानते हैं-

☞1 - पहली तीली :- संयम (संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है)
☞2 - दूसरी तीली :- आरोग्य (निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है)
☞3 - तीसरी तीली :- शांति (देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह)
☞4 - चौथी तीली :- त्याग (देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास)
☞5 - पांचवीं तीली :- शील (व्यक्तिगत में शीलता की शिक्षा)
☞6 - छठवीं तीली :- सेवा (देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा)
☞7 - सातवीं तीली :- क्षमा (मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना)
☞8 - आठवीं तीली :- प्रेम (देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना)

☞9 - नौवीं तीली :- मैत्री (समाज में मैत्री की भावना)
☞10 - दसवीं तीली :- बन्धुत्व (देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना)
☞11 - ग्यारहवीं तीली :- संगठन (राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना)
☞12 - बारहवीं तीली :- कल्याण (देश व समाज के लिये कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना)
☞13 - तेरहवीं तीली :- समृद्धि (देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना)
☞14 - चौदहवीं तीली :- उद्योग (देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना*)
☞15 - पंद्रहवीं तीली :- सुरक्षा (देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना)
☞16 - सोलहवीं तीली :- नियम (निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना)
☞17 - सत्रहवीं तीली :- समता (समता मूलक समाज की स्थापना करना)
☞18 - अठारहवी तीली :- अर्थ (धन का सदुपयोग करना)
☞19 - उन्नीसवीं तीली :- नीति (देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना)
☞20 - बीसवीं तीली :- न्याय (सभी के लिए न्याय की बात करना)
☞21 - इक्कीसवीं तीली :- सहयोग (आपस में मिलजुल कार्य करना)
☞22 - बाईसवीं तीली :- कर्तव्य (अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना)
☞23 - तेईसवी तीली :- अधिकार (अधिकारों का दुरूपयोग न करना)
☞24 - चौबीसवीं तीली :- बुद्धिमत्ता (देश की समृधि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना)

सभी तीलियाँ सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तीलियाँ सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट सन्देश देने के साथ - साथ यह भी बतातीं हैं कि हमें रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए ।

नोट: आंबेडकरवादियों से आग्रह है कि प्रचार प्रसार हेतु उक्त पोस्ट को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ।

जय भीम, जय भारत

✸निजीकरण✸

*संविधान में आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 के रहते केन्द्र सरकार निजीकरण नहीं कर सकती और न ही निजीकरण पर कोई कानून बना सकती।

◈यदि सरकार संविधान का उलंघन कर निजीकरण के लिए मनमाना कानून बनाती है तो सरकार अदालतों में टिक नहीं सकती वसरते न्यायालय सही न्याय करे तो
संविधान का उलंघन देश द्रोह का अपराध है और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और सही निर्णय होने पर सरकार भंग हो सकती है

◈आज अच्छी शिक्षा पा रहे सभी भारतीयों के बच्चे निजीकरण के कारण पूँजीपतियों के यहाँ 5000 के नौकर होंगे।

◈सम्मानित साथियों संविधान सभा में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई थी कि देश में प्राइवेट सेक्टर तैयार किया जाए या पब्लिक सेक्टर/ सरकारी सेक्टर संविधान सभा की पूरी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि देश में व्यपक स्तर पर असमानता है और असमानता को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानि सरकारी सेक्टर तैयार किया जाए यह संविधान निर्मात्री सभा की सहमति हुई थी तथा संविधान के आर्टिकल 37, 38, 39 में भी सरकारी सेक्टर को केवल बढावा देना ही नहीं बल्कि ऐसी किसी भी प्रकार की नीति बनाने का प्रतिषेध किया है कि जिससे निजीकरण को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए

◈संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगी जिससे कि देश का अधिकांश पैसा, संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाए

इसके बाद संविधान में 42वाँ संशोधन आया जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई इसमे भी इस केस को गोरखनाथ केस के नाम से जाना जाता है इसमें भी यही कहा गया कि असमानता को दूर करने के लिए निजीकरण के बजाय सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। यही नहीं बल्कि इंदिरा साहनी के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के इन आर्टिकल्स को व्यापक जनहित में मानते हुए बिलकुल सही माना।

संविधान में इन आर्टिकल्स के रहते हुए केन्द्र सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि देश के 135 करोड लोगों के खिलाफ़ हो और गिने चुने उद्योगपतियों को इसका फायदा मिले संविधान में निजीकरण की इस बात के लिए मना किया गया है 97अर्ट2445 h to 41

जबकि आज सरकार सरकारी सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है और ऐसी स्थिति में भारत की कम्पनियों के साथ मिलकर विदेशी कम्पनियाँ भी खरीद सकतीं हैं इससे देश गुलाम भी हो सकता है अतः इससे आर्टिकल 300 का भी उलंघन हो रहा है।